न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 82/2016 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00259

उनवान

द्वारिका पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी ग्राम भिरामद तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. मु0 पहलबाई पत्नी रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम लेडियापुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा ।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा दिनांक 23.06.2016 मि.नं. 85/12 उनवानी द्वारिका बनाम पहलबाई।

अभिभाषकगण :–

1. श्री जानकी प्रसाद वकील अपीलांट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

दिनांक–23.12.2024

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का संवत 2052 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। पक्षकारान आपस में सजातीय हैं और निकट के रहने वाले हैं तथा उनके विश्वास पात्र भी हैं। आज तक प्रतिवादी रैस्पो0 ने वादी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं किया एवं विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार स्वीकार किया हुआ है। विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 के पति ने विवादित

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी को अपनी लडकी की शादी में रूपये की जरूरत होने के कारण 76000 हजार रूपये अदा करने के कारण विवादित आराजी पर कब्जा दे दिया था, तभी से विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। परन्तु अब प्रतिवादी रैस्पो0 के मन में बदयान्ती आ गयी है एवं विवादित आराजी से वादी अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में अपीलाण्ट को बिना सुने पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को लोक अदालत में प्रकरण रखने की कोई सूचना नहीं दी गयी। लोक अदालत में केवल राजीनामा से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। परन्तु प्रकरण में पक्षकारान की कोई सहमति/राजीनाम ही नहीं हुआ। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में उनकी बैक पर उन्हें बिना सुने पारित किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.06.2016 पर अपीलाण्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश उन्हें बिना सुने पारित किया है, तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा अपीलाण्ट एक सादा कागज पर लिखे हुये विक्रयनामा के आधार पर विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं। परन्तु उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त हो ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील

मु प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

में प्रस्तुत किया है। वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार सृजित होने का कोई प्रावधान नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलान्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखांया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आरएएस
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर